

क्रमांक : रा.मा.शि.प/जय/सीएसआर/मीडिया/2017/7653

दिनांक : 18/10/2017

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले

विषय: पूर्व छात्र परिषद् सदस्यों को राज्य परियोजना निदेशक का पत्र शाला दर्पण से भिजवाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग: कार्यालय का पत्रांक क्रमांक: 1105 दिनांक: 12/02/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक द्वारा राजकीय विद्यालयों में गठित पूर्व विद्यार्थी मंच (पूर्व छात्र परिषद्) में पूर्व विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जोड़कर विद्यालयों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व विद्यार्थियों के वर्तमान सम्पर्क सूचनाएँ एकत्रित कर, विद्यालयों के संस्था प्रधान की ओर से पत्र लिखने के लिए तथा पूर्व विद्यार्थियों की एकत्रित वर्तमान सम्पर्क सूचनाएँ विद्यालय लॉगिन द्वारा शाला दर्पण पर इन्द्राज करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

किन्तु विद्यालयों द्वारा पूर्व छात्र परिषद् के सदस्यों की सूचनाएँ शाला दर्पण अंकित करने गति अत्यधिक धीमी है। अभी तक मात्र 2135 विद्यालयों ने 11615 पूर्व विद्यार्थियों की सूचनाओं का शाला दर्पण पर इन्द्राज किया है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा की गई प्रविष्टियां सही अंकित नहीं की गई है। उदाहरणार्थ— एक ही ई-मेल पते को बहुत से पूर्व छात्रों के लिए उपयोग किया गया है या सही मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किये गए हैं। अतः सभी संस्था प्रधानों को सूचनाओं को अपडेट करने एवं जिन विद्यालयों ने सूचनाएँ अंकित नहीं की हैं, उन्हें अधिकाधिक सूचनाएँ एकत्रित करवाकर इन्द्राज करने हेतु निर्देशित करें।

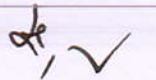
इस अतिरिक्त विद्यालयों के लॉगिन पर राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद् की ओर से पूर्व विद्यार्थी परिषद् को ई-मेल भेजने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसकी प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस सुविधा का उपयोग कर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से अपने लॉगिन से पूर्व छात्र परिषद् मॉड्यूल के माध्यम से ई-मेल भेजना सुनिश्चित करें। सभी जिला अधिकारी शालादर्पण पर उनके लॉगिन पर कार्यप्रगति मेन्यू में उपलब्ध रिपोर्ट की सहायता से प्रगति की समीक्षा कर गति प्रदान करें।


(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जयपुर
5. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, रामाशिप जयपुर
6. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण/दर्शन प्रकोष्ठ, रामाशिप जयपुर
7. उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर
8. उपनिदेशक, मॉनिटरिंग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
9. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक